

न्यायालय:-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड (म0प्र0)

प्रकरण कं0 25/2018 ई0फौ0

Filing NO. Sum/648/2018

(//निर्णय//)

(आज दिनांक 03.02.2018 को घोषित)

1. अभियुक्त अरविन्द शर्मा व अभियुक्त अटल शर्मा पर धारा 13 पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट, 1867 का आरोप है।
2. अभियोजन मामले के अनुसार दिनांक 27.01.2018 को इलाका भ्रमण के दौरान तालाब के किनारे ग्राम अमलेड़ा के पास से समय 21:05 बजे अभियुक्त अरविन्द शर्मा, अभियुक्त अटल शर्मा व अभियुक्त रूपकिशोर शर्मा (विचारण जारी) को ताश के पत्तों पर हार-जीत का दाव लगाते हुए पकड़ा गया है और अभियुक्त अरविन्द व अभियुक्त अटल से कुल 820/-रुपये जप्त किये गये हैं।
3. अपराध विवरण विरचित कर सुनाये जाने पर अभियुक्त अरविन्द शर्मा, अभियुक्त अटल शर्मा ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है। अभियुक्त अरविन्द शर्मा, अभियुक्त अटल शर्मा की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अपराध की स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त अरविन्द शर्मा, अभियुक्त अटल शर्मा को धारा 13 पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट, 1876 के अपराध हेतु दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
4. कारित अपराध की प्रकृति व स्वरूप को देखते हुये अभियुक्त अरविन्द शर्मा, अभियुक्त अटल शर्मा परिवीक्षा के पात्र नहीं हैं।
5. अभियुक्त अरविन्द शर्मा, अभियुक्त अटल शर्मा के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है, अतः अभियुक्त अरविन्द शर्मा, अभियुक्त अटल शर्मा को धारा 13 पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट, 1876 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु प्रत्येक अभियुक्त को 100-100/- रुपये (एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने में व्यक्तिक्रम पर 7 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
6. प्रकरण में जप्त 820/-रुपये नगद अपील अवधि पश्चात् राजसात किये जावें अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

स्थान :-भिण्ड

दिनांक :-03.02.2018

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भिण्ड (म0प्र0)